FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग

गोपाली वगै0 **बनाम** रामा वगै0

दमा किस्मः– दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट., मुकदमा नम्बर 71 /2024,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.08.2024	पत्रावली को वकील वादीगण ने पेश किया। प्रकरण पर प्रति0 संख्या 01 लगायत 03 व 08 की ओर से श्री मुकेश कुमार एड0 ने अपना वकालतनामा पेश किया। उभय पक्ष को सुना गया। अतः दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट,दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली वास्ते तलबी प्रति0 हेतु दिनांक 27.09.2024 को पेश हो।	
27-9-24	माननीय उपखण्ड अधिकारी उपस्थितपीठासीन अधिकारी अनुपस्थित/पक्ष काफी भ्रमण पर/मीटिंग में जयपुर पधारे हैं। वकील वादी/प्रतिवादी ने..... पेश किया। शामिल पत्रावली होकर पूर्वानुसार दि0 19-11-24 को पेश हो।	वा0 गोपाली रामसिंह देशराज सुलतान
22-10-24	पत्रावली आज दि. 22-10-24 को तलब की गई। वकील श्री वेदप्रकाशजी ने वादीगण की ओर से वकालतनामा पेश किया। वकील पक्षकार ने दावा की मौखिक वापसी के संबंध में पिट्टो बाबत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है। हम मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं। मुकदमा मौजूदा स्टेज पर खारिज फरमाया जावें। अतः वकील पक्षकारान को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील पक्षकारान के प्रार्थना पत्र के आधार पर दावा पिट्टो कर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी डीग (डीग) राज.	वेदप्रकाश वा0

Scanned with OKEN Scanner